राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2217/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स जे.एल.सी. इलेक्ट्रोमेन्ट प्रा0 लि0, वी.के.आई, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (बिजनेस ऑडिट)प्रथम, संभाग–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 27(5) सपठित नियम 19ए, एवं धारा 55, 61 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 87,56,625/– में से रू0 55,40,784/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 32,15,841/– को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। व्यवहारी की आलौच्य अवधि की बिजनिस ऑडिट दिनांक 20.05.2016 को सम्पादित की गई। व्यवहारी द्वारा आलौच्य वर्ष में निकल बेस आलॅय वायर, फेरस, नॉन फेरस वायर का निर्माण करते हुए उनका विक्रय किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2016 द्वारा 99,73,246/– का करारोपण किया तत्पश्चात अधिनियम की धारा 33 के तहत अपने आदेश को दिनांक 30.08.2016 को संशोधित करते हुए व्यवहारी द्वारा चाही गई छूट को अस्वीकार किया। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 32,15,841/– की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। 19/10/16 **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2217/2016.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/10/2016	उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.10.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया आंशिक सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 32,15,841/— में से स्क्रीप्ट क्रय पर क्लेम की गई आई.टी.सी. राशि रूपये 5,61,098/— व ब्याज 1,85,162/— रू. के अलावा शेष वसूली योग्य राशि रूपये 24,69,581/— की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे एवं रूपये 7,46,260/— की मांग राशि जमा करायेगें। शर्तो का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। 19/10/16 (राजीव चौधरी) सदस्य 19.10.2016 (मदन लाल) सदस्य	